रामनाथ बनाम पीरघायी व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 11/2019 (ली. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	05/08/21	के उपरान्त भी जवाब प्रार्थनापत्र ली. आई. प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः जवाब ली. आई. बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस ली. आई. दिनांक 12/08/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	12/08/21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र ली. आई. पर सुनी गई। मूलवाद प्राथमिक डिक्री किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ली-आई. के सम्बन्ध में कोई जवाब अथवा कोई मामूली आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई है अतः चूँकि मूलवाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है अतः वादकुलता के दृष्टिगत मूलवाद के अंतिम निस्तारण उपरान्त अपीलार्थी को अपीलार्थी निवेदिका के पक्ष में किया जाता है कि वे ग्राम श्री गोविन्दपुरा तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि ख.नं. 104, 106, 123, 134/548 कुल विक्रय किया है कुल रकबा 0.7400 है की मादा [illegible] निर्माण [illegible] करें। [illegible] खुले [illegible] पत्रावली [illegible] थुमार होकर मय नम्बर के एक [illegible] बाद तकमील अधिवक्ता वापस हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.11.10 14:39:10 IST
Reason: SelfAttested